विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.- 299 परिशिष्ट [17/2/2026]

सदस्य का नाम - श्री अभय मिश्रा

सदन में उत्तर दिनांक - 17.02.2026 प्रश्न सं. [क्र. 299]

प्रारूप- तीन

(नियम 5 उपनियम (ग) देखिये)

(मध्यप्रदेश लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम 1988 के अधीन)

प्रति,

नाम :- विपुल प्रताप सिंह पिता / पति :- बालकृष्ण प्रताप सिंह

पता :- ग्राम बीडा तहसील सेमरिया पोस्ट बीडा तहसील सेमरिया जिला -रीवा (म.प्र.)

आपसे एतद् द्वारा सूचना ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है कि अनुबद्ध विवरण दे दिये गए ब्यौरे के अनुसार आपसे /12826962=00 रूपये अक्षरी (एक करोड़ अट्ठाईस लाख छब्बीस हजार नौ सौ बासठ मात्र) की राशी भू -राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली किया जाना है और यह की आपके द्वारा रकम 3 प्रतिशत कार्यवाहियों के खर्च तथा रूपये 10/- आदेशित का फीस सहित दिनांक 16.06.2025 को (या इस सूचना की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर) उस प्राधिकारी के पास जिसने उधार मंजूर किया था, जमा कर दिये जाने के पश्चात या उपरोक्त दिनांक तक उक्त न्यायालय में पावती पेश नहीं कर दी जाती तो राशियों की वसूली के लिये आपके विरूद्ध विधि के अनुसार प्रपडित कार्यवाही की जाएगी।

संस्था का नाम	बकाया की रकम	ब्याज की दर	कार्यवाही खर्च	आदेशित फीस	कुल शोध्य रकम	तामीली का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
उपयुक्त सहकारिता जिला रीवा (म.प्र.)	12826962=00	नियमानुसार	नियमानुसार	10/	12826962=00	

मुद्रा

दिनांक :- 12.06.2025

तहसीलदार
तहसील सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०)
तहसीलदार
सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०)

उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा की सूचनार्थ प्रतिलिपि आग्रेसित ।

प्रकरण क्रमांक पत्र क्र. RCMS वृत्त शाहपुर / 0001 / अ-76 / 2025-26

खाता क्र. - निरंक

खसरा क्र. 433/2, 434/2, 683/2/2, 687 ,9999/2, 9960/3ख , 9988/3ख , 402/2391/2

पेशी का समय :-

तहसीलदार
तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म०प्र०)
तहसीलदार
सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०)

प्रतिलिपि
Vipul विपुल प्रताप सिंह
15-6-2025

तामिली पेश
आदित्य दाहिया (पटवारी हल्का बीडा)

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अवर सचिव
म.प्र. शासन
सहकारिता विभाग

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/ उपार्जन/2024-25/ 1076 रीवा, दिनांक 20/02/2025

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि.
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

विषय- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र सेवा सहकारी समिति बीड़ा क्र. 2 (59225169) में किसानों का शेष भुगतान के संबंध में।

--00--

विषयान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु सेवा सहकारी समिति बीड़ा क्रमांक-2 केन्द्र कोड (59225169) को तहसील सेमरिया अंतर्गत कृषकों से धान खरीदी हेतु खरीदी केन्द्र स्थापित किया गया था। वर्तमान में खरीदी केन्द्र द्वारा 661 कृषकों 4500.14 मे.टन धान का उपार्जन किया गया है। समिति प्रबंधक द्वारा अपने खरीदी केन्द्र के निरीक्षण समय नियुक्त खरीदी प्रभारी द्वारा खरीदी केन्द्र मे की गई अनियमितता के कारण दिनांक 21.01.2025 को जिला आपूर्ति नियंत्रक के समक्ष खरीदी केन्द्र की जांच कराने व खरीदी प्रभारी राकेश शुक्ला के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

2. समिति प्रबंधक बीड़ा के आवेदन पत्र अनुसार जिला आपूर्ति नियंत्रक रीवा द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक/970/खाद्य/उपा./2025 रीवा दिनांक 21.01.2025 के द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिरमौर, त्योंथर एवं सहकारिता निरीक्षक सिरमौर का जांच दल गठित कर खरीदी केन्द्र की जांच कराई गई। जांच दल के जांच प्रतिवेदन अनुसार व दिनांक 23.01.2025 को समिति प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराई गई किसानों की सूची जिनकी खरीदी प्रभारी द्वारा फर्जी तरीके से पोर्टल पर खरीदी की प्रविष्टि की गई थी, को डिलीट कराने की कार्यवाही कराई गई। जिस पर 27 किसानों की 3121.20 क्विंटल धान (राशि 71,78,760 रूपए कीमत की) को ई उपार्जन पोर्टल से डिलीट कराया गया। उक्त डिलीट हुए कृषकों के संबंध में समिति प्रबंधक द्वारा नान जूडूशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भविष्य में यदि उक्त कृषकों द्वारा भुगतान का दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उनका भुगतान समिति प्रबंधक द्वारा स्वयं किया जायेगा। उक्त 27 कृषकों द्वारा कार्यालय में जनसुनवाई व सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भुगतान कराए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इन कृषकों की खरीदी ई-उपार्जन पोर्टल पर वर्तमान में दर्ज नहीं है परन्तु कृषक के पास पूर्व में धान विक्रय की अनाज खरीदी पावती के आधार पर भुगतान की मांग की जा रही है।

3. धान उपार्जन केन्द्र पर परिवहन हेतु शेष धान का परिवहन करवाया गया तथा केन्द्र पर भौतिक रूप से 36 किसानों की 1956 क्विंटल धान कम पाई गई। उक्त कम पाई गई धान की मात्रा की राशि 44,98,800/- रूपए होती है। जिसका भुगतान किसानों को शेष है तथा किसानों की खरीदी ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज है।

4. वर्तमान में धान उपार्जन केन्द्र केन्द्र बीड़ा क्र. 2 के कुल 63 किसानों की 5077.20 क्विंटल धान की राशि 1,16,77,560/-रूपए भुगतान हेतु लंबित है। वर्तमान में उक्त 63 कृषकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई तथा समक्ष में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भुगतान की मांग की जा रही है।

5. समिति द्वारा क्रय की गई धान मे से भंडारित धान की मात्रानुसार देय कमीशन व लेबर राशि में से जे.आई.टी. पोर्टल के माध्यम से कमीशन व लेबर मद में समिति को प्राप्त राशि एवं समस्त कटौत्रों के उपरांत वर्तमान में लगभग 1,80,000 रूपए समिति को भुगतान योग्य शेष है। इस कारण समिति के शेष कमीशन एवं लेबर की राशि से कृषकों का भुगतान नहीं किया जा सकता है। खरीदी प्रभारी, डाटा आपरेटर व अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, पुलिस द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि किसानों को भुगतान करने हेतु राशि 1,16,77,560/-रूपए की प्रतिपूर्ति मूल्य स्थरीकरण कोष/राज्य शासन के कोष से स्वीकृत करने का कष्ट करें ताकि किसानों का भुगतान कराया जा सके।

कलेक्टर
जिला रीवा (म.प्र.)

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अवर सचिव
म.प्र. शासन
सहकारिता विभाग

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठा.क्रमांक/ उपार्जन/2024-25/ 3076 रीवा, दिनांक 20/02/2025

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल।
3. आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग संचालनालय भोपाल।
4. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक भोपाल।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग सिरमौर जिला रीवा।
6. जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला रीवा।
7. उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा।
8. महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. जिला रीवा।
9. जिला प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. जिला रीवा।

कलेक्टर
जिला रीवा (म.प्र.)

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अवर सचिव
म.प्र. शासन
सहकारिता विभाग

Scanned with OKEN Scanner